प्रदर्श "स"

प्रमाण पत्र

मेसर्स..16वीं वाहिनी (आर) छ.स.बल,......को..पुलिस आउट पोस्ट.....कार्य हेतु........नारायणपुर.......... जिला में ......नारायणपुर......वनमंडल के ..गढ़बेंगाल......गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु ..3.530..हे. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों का स्थापित किया जाता है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वनभूमि ....3.530.....हे. एवं/राजस्व वन भूमि ..../..............हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम ...गढ़बेंगाल..................तहसील ...नारायणपुर.............. में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक .19.09.2014.. **(प्रदर्श-"अ")** एवं वन तथा राजस्व विभ्रा का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन **(प्रदर्श-"ब")** पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ..गढ़बेंगाल........ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमती..सोमडेराम ...मंडावी.......की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक .19.09.2014... में रखा गया था (कई गाव होने पर प्रत्येक का विवरण दे दिनांक सहित) एवं इसमें ....60.......प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनकों परियोजना के क्रियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कर कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
01	निरंक	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 19.09.2014 .... अनुसार ऐसै विलूप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **" अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006** की धारा 3 (1) (ई) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक..17.09.2014....../दिनांक....19.09.2014....के संकल्पो के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार

नाम (कलेक्टर) 19/9/2014

कलेक्टर

जिला नारायणपुर

एवं

अध्यक्ष - जिला वन अधिकार समिति

जिला - नारायणपुर

(सील)

दिनांक

प्रदर्श "स"

<u>प्रमाण पत्र</u>

मेसर्स ..एन.एम.डी.सी. (भारत) लिमिटेड......को ..कोर सेम्पल ड्रीलिंग सेक्टर..कार्य हेतु...नारायणपुर..........
जिला में ...नारायणपुर.........वनमंडल के ...गारांजी........गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु ..4.369..हे.
वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों का स्थापित किया जाता है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वनभूमि ......4.369.....हे. एवं/राजस्व वन भूमि ....-..........हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम .....गारांजी....................तहसील ...नारायणपुर.............. में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक .17.09.2014.. **(प्रदर्श-"अ")** एवं वन तथा राजस्व विभ्म का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन **(प्रदर्श-"ब")** पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव .....गारांजी.........ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमती..गोपाल ...राम कुमार.....की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक .17.09.2014... में रखा गया था (कई गाव होने पर प्रत्येक का विवरण दे दिनांक सहित) एवं इसमें ....50.....प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनकों परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कर कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-

कमांक	**ग्राम का नाम**	**वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम**	**रकबा (हे.में)**
01	निरंक	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक .17.09.2014. .... अनुसार ऐसे विलूप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **" अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006** की धारा 3 (1) (ई) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक...17.09.2014......./दिनांक....17.09.2014.....के संकल्पो के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार

19/9/2014

नाम कलेक्टर

कलेक्टर

एवं

जिला नारायणपुर

अध्यक्ष - जिला वन अधिकार समिति

जिला - नारायणपुर

(सील)

दिनांक

प्रमाण पत्र

मेसर्स. 16वीं वाहिनी (भा.ति.) सी.पु.बल ......को स्कूल अस्पताल एवं प्रशासकीय एवं आवासीय भवन ....कार्य हेतु....नारायणपुर.......... जिला में ...नारायणपुर........वनमंडल के ...गरांजी.......गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु .5.000.....हे. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों का स्थापित किया जाता है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वनभूमि ....5.000........हे. एवं/राजस्व वन भूमि ....-..............हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम ....गरांजी......................तहसील ....नारायणपुर............ में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 17.09.2014 (**प्रदर्श-"अ"**) एवं वन तथा राजस्व विभ्रा का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन (**प्रदर्श-"ब"**) पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ......गरांजी.........ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमती गोपाल ...राम दुग्गा...की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक ...17.09.2014. में रखा गया था (कई गाव होने पर प्रत्येक का विवरण दे दिनांक सहित) एवं इसमें ....50.......प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनकों परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कर कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-

कमांक	**ग्राम का नाम**	**वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम**	**रकबा (हे.में)**
01	निरंक	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक ...17.09.2014 .... अनुसार ऐसे विलूप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार " **अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006** की धारा 3 (1) (ई) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक...17.09.2014..../दिनांक....17.09.2014...के संकल्पो के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार

नाम (टामन सिंह सोनवानी)
कलेक्टर
कलेक्टर
जिला नारायणपुर
एवं
अध्यक्ष - जिला वन अधिकार समिति
जिला - नारायणपुर
(सील)

दिनांक